

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप -2) विभाग

क्रमांक : प0.27 (38) चिस्वा/02/2016

जयपुर, दिनांक 11.08.2016 (12/8)

M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai

अपीलान्त

बनाम

कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील संख्या 38/2016

अपील अन्तर्गत धारा 38 (1), राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012

निर्णय दिनांक 11.08.2016

प्रस्तुत अपील पर, सुनवाई दिनांक 27.07.2016 को की गई। अपीलान्त एवं रेस्पोंडेंट दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गई। अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सुकृति कासलीवाल एवं फर्म के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक-1 (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक-11 (ई.पी.एम.) एवं कन्सलटेन्ट बायोमेडिकल इंजीनियर (पी) आदि उपस्थित हुये।

1. संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि, आर.एम.एस.सी.एल. ने निविदा सूचना संख्या 113 दिनांक 28.09.2015 जारी कर कुल 5 विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों (1) Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) (2) Dry Incubator (3) Fully Automated Deluxe Donor Couches (4) Horizontal Laminar Air Flow Bench (5) Di-Electric Tube Sealer (Portable) की निविदाएं आमन्त्रित की। निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 02.01.2016 को खोली गई। निगम स्तर पर तकनीकी बिड का मूल्यांकन किया जाकर दिनांक 26.04.2016 को आदेश क्रमांक 2013 से List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा की गई। उक्त आदेश क्रमांक 2013 दिनांक 26.04.2016 में अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) आईटम के लिये Responsive Declare किया गया तथा वित्तीय बिड दिनांक 28.04.16 को खोला जाना निर्धारित किया गया। जिसको आदेश क्रमांक 2088/29.04.2016, 2137/03.05.2016, 2200/06.05.2016, 2256/11.05.2016, 2419/18.05.2016 से स्थगित किया गया।

आरएमएससीएल ने उक्त निविदा के लिये पुनः आदेश क्रमांक 2901 दिनांक 23.06.2016 से List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा की जिसमें अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के लिये Non Responsive Declare किया गया। उक्त आदेश के अनुसार वित्तीय बिड दिनांक 27.06.2016 को खोला जाना निर्धारित किया गया है। जिसे आदेश क्रमांक 2936 दिनांक

(2)

27.06.2016 से स्थगित करते हुये दिनांक 29.06.2016 को खोला जाना निर्धारित किया जाकर दिनांक 30.06.2016 को वित्तीय बिड खोली गई।

अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने आदेश क्रमांक 2901 दिनांक 23.06.2016 से, उनको आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के लिये Non Responsive घोषित किये जाने की आपत्ति दर्ज कराते हुये, व्यथित होकर हस्तगत प्रथम अपील RTPP Act 2012 की धारा 38(1) अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. अपीलान्त फर्म ने अपील में संलग्न दस्तावेजों की सत्यता बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

3. अपील पर बहस के दौरान अपीलार्थी फर्म ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया एवं संलग्न सम्बन्धित दस्तावेज को साक्ष्य रूप में अवलोकन कराया। अपीलान्त का प्रमुख रूप से यह तर्क रहा कि, आरएमएससीएल ने दिनांक 26.04.2016 के आदेश में, उनकी निविदा को Responsive किये जाने के पश्चात बिना अन्य किसी सूचना के आदेश दिनांक 23.06.2016 में Non Responsive कर दिया गया।

अपीलार्थी फर्म ने निविदा की शर्त सं. Section VI B: Special Conditions Rate Contract (SCC) के बिन्दू संख्या 9 का बहस दौरान हवाला देते हुये कहा कि उनके द्वारा जो CE Certificate प्रस्तुत किया गया था वह Bid submission की दिनांक 02.01.2016 को वैध था। उसके पश्चात उन्हें वैध दस्तावेज आपूर्ति दिनांक को ही प्रस्तुत करना था। उनके द्वारा प्रस्तुत CE Certificate Withdraw किये जाने के पश्चात एवं निविदा मूल्यांकन Final किये जाने से पूर्व ही उन्होंने अन्य वैकल्पिक USFDA रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे। अतः फर्म की निविदा को Responsive करार दिया जाना चाहिये था।

अपीलार्थी की यह अपील अन्य निविदा संख्या 117 दिनांक 28.09.2015 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई अपील सं. 37 से सम्बन्धित है और मूलतः उक्त अपील के तर्कों के अनुसार ही इस अपील के लिये भी अपीलार्थी फर्म के तर्क रहे।

4. आरएमएससीएल ने, निविदा के तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार "Should be compliant with European CE or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid)" की पात्रता का मापदण्ड रखा जाकर उक्त दोनों में से एक अथवा दोनों सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये जाने का, सभी निविदादाताओं को विकल्प दिया था। अतः अपीलार्थी को भी उक्त अपील सम्बन्धित आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के लिये European CE अथवा US FDA में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने का विकल्प प्राप्त था। अपीलार्थी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने निविदा प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 02.01.16 को CE Certificate संलग्न करते हुये अपनी निविदा प्रस्तुत की है।

5. सुनवाई दौरान आरएमएससीएल ने, अपीलार्थी फर्म को Responsive से Non Responsive किये जाने के सम्बन्ध में तर्क दिया कि आदेश दिनांक 26.04.2016 में, इस फर्म की निविदा को CE Certificate के आधार पर Responsive किया गया था। परन्तु फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया CE Certificate दिनांक 19.01.2016 को जारीकर्ता Authority - 3EC International द्वारा Withdraw कर लिया गया। जिसकी सूचना निगम को आदेश दिनांक 26.04.2016 के जारी किये जाने तक नहीं थी। उक्त आदेश जारी किये जाने के पश्चात अन्य निविदादाता फर्म M/s Thermo Fisher India Pvt. Ltd. से निगम को यह सूचना प्राप्त हुई जबकि अपीलार्थी फर्म का भी यह दायित्व था कि वह निगम को CE Certificate के Withdraw किये जाने की सूचना निगम को देती। अतः फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai की निविदा कॉटेड आईटम Blood Bank

(A)

Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के लिये CE Certificate को दिनांक 19.01.2016 को जारीकर्ता Authority द्वारा Withdraw किये जाने के पश्चात पात्रता मापदण्ड Maintain नहीं करती थी, कारणवश फर्म की निविदा को आदेश दिनांक 23.06.2016 में Non-Responsive किया गया।

6. अपीलार्थी ने दौरान बहस, यह स्वीकार किया कि उनके द्वारा इस आईटम के लिये निविदा प्रथमतः Authority - 3EC International द्वारा जारी CE Certificate के आधार पर प्रस्तुत की थी जो कि अब दिनांक 19.01.2016 को withdraw किया जा चुका है। फर्म ने निविदा मूल्यांकन दौरान ही तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के विकल्प अनुसार पात्रता के लिये USFDA रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजों निगम को प्रस्तुत कर दिये थे। अपीलार्थी के अनुसार उनकी फर्म का विभिन्न आईटमों के लिये USFDA रजिस्ट्रेशन दिनांक 31.12.2016 तक किया गया है। जिसके दस्तावेज निगम को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।
7. अपीलार्थी फर्म द्वारा बहस दौरान बताई गई निविदा की शर्त सं. Section VI B: Special Conditions Rate Contract (SCC) के सम्बन्ध में आरएमएससीएल से दो बिन्दुओं पर जवाब चाहा गया कि, क्या कोई निविदादाता Bid Submission दिनांक को अलग दस्तावेज के आधार पर अपनी पात्रता प्रस्तुत करता है और Bid Finalization की दिनांक को अन्य दस्तावेज के आधार पर अपनी पात्रता रखता है तो, आरएमएससीएल क्या प्रक्रिया अपनाती है। इस सम्बन्ध में आरएमएससीएल ने पत्र दिनांक 11.07.2016 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि Bid Submission दिनांक को जिस दस्तावेज के आधार पर निविदा प्रस्तुत की गई है निविदादाता उसी दस्तावेज को Maintain करेगा। पृथक दस्तावेज के आधार पर वह अपनी निविदा की पात्रता नहीं बनाये रख सकता है। आरएमएससीएल का जवाब शामिल पत्रावली किया गया।
8. अपील के सम्बन्ध में निगम का यह भी तर्क रहा है कि, अपीलार्थी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने ई-पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत तकनीकी निविदा में USFDA रजिस्ट्रेशन के आवेदन के कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया था। दिनांक 02.01.2016 को खोली गई तकनीकी बिड में अपीलार्थी द्वारा CE Certificate के दस्तावेज उक्त आईटम के लिये संलग्न किये। फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai द्वारा तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया दौरान प्रस्तुत किये गये USFDA दस्तावेजों के अनुसार उन्हें केवल USFDA में Owner Operator Number ही प्राप्त था। फर्म USFDA Approval का दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रही। फर्म के प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों में भी "Please note that registering your device facility and listing your devices does not, in any way, constitute FDA approval of your facility or your devices" उल्लेख किया गया है। रेस्पॉन्डेंट के अनुसार USFDA वेबसाइट पर भी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai के उक्त आईटम के लिये Quoted Model का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः फर्म USFDA दस्तावेज भी निविदा की पात्रता के लिये पर्याप्त नहीं है। फर्म ने दिनांक 28.01.16 को नये CE Certificate के लिये आवेदन किया है, जो कि आरएमएससीएल के अनुसार Bid Submission Date 02-01-16 के पश्चात आवेदित है। अतः स्वीकार योग्य नहीं है।

अपीलार्थी फर्म द्वारा प्रासंगिक अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत तर्क एवं साक्ष्यों के अवलोकन एवं रेस्पॉन्डेंट द्वारा प्रस्तुत एवं अवगत कराये गये तथ्यों के अनुसार स्पष्ट होता है कि निगम की निविदा सूचना 113 के अन्तर्गत तकनीकी स्पेसिफिकेशन "Should be compliant with European CE or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid)" के अनुसार, सभी निविदादाताओं के लिये उक्त दो दस्तावेजों European CE. or US FDA में से एक अथवा दोनों के


प्रस्तुत किये जाने का विकल्प चयन का अवसर उपलब्ध था। अपीलार्थी फर्म ने Bid Submission दिनांक 02.01.2016 को आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) की निविदा के लिये, 3EC International द्वारा जारी CE Certificate के आधार पर अपनी पात्रता प्रस्तुत की। यह CE Certificate दिनांक 19.01.16 को जारीकर्ता 3EC International द्वारा withdraw कर लिया गया।


निविदा के तकनीकी मूल्यांकन दौरान फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai द्वारा प्रस्तुत किये गये USFDA दस्तावेजों में "Please note that registering your device facility and listing your devices does not, in any way, constitute FDA approval of your facility or your devices" का उल्लेख किया गया है। रैस्पॉन्डेंट के अनुसार USFDA की वेबसाइट पर भी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai के आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के Quoted Model का उल्लेख नहीं मिलता है। उपरोक्त अनुसार अपीलार्थी फर्म को USFDA से केवल Owner Operator Number ही प्राप्त था। अतः अपीलार्थी फर्म USFDA Approval का भी उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रही।

फर्म द्वारा European CE Certificate के Withdrawal की सूचना नहीं दी गयी। यह स्थिति किसी भी Agreement के Trust को Breach करती है, जो उचित नहीं है। अतः बिड की शर्त अनुबंध के तहत होने के कारण फर्म Non-Discloser की भी दोषी है। इस प्रकार अपीलार्थी फर्म, निविदा के आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के लिये तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार वांछित European CE Certificate अथवा US FDA Certificate, जो कि निविदा की पात्रता के लिये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, को प्रस्तुत करने में असफल रही। अतः उपरोक्तानुसार रैस्पॉन्डेंट के आदेश क्रमांक 2901 दिनांक 23.06.2016 को उचित मानते हुये, अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने के कारण अपास्त की जाती है।

आदेश

उपरोक्त कारण से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावे। पत्रावली निर्णय में सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।


अपीलीय अधिकारी एवं
विशेष शासन सचिव



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप -2) विभाग

क्रमांक : प0 27 (35) चिस्वा/02/2016

जयपुर, दिनांक: 11.08.2016

M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai .

अपीलान्त

बनाम

कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील संख्या 35/2016

अपील अन्तर्गत धारा 38 (1), राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012

निर्णय दिनांक 11.08.2016

अपील में सुनवाई दिनांक 27.07.2016 के दौरान, अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेन्ट की बहस सुनी गई। अपीलार्थी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सुकृति कासलीवाल एवं फर्म के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की तरफ से कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक-I (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक-II (ई.पी.एम.) एवं कन्सलटेन्ट बायोमेडिकल इंजीनियर (पी) आदि उपस्थित हुये।

1. संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमि0 ने निविदा सूचना संख्या 115 दिनांक 28.09.2015 जारी कर कुल 6 विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों (1) Table Top Centrifuge 12 X 15ml Tubes (2) Digital Analytical Balance, Single Pan (3) Kit Storage Refrigerator 350 Ltr Capacity (4) -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) (5) -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) (6) Double Pan Balance की निविदाएं आमन्त्रित की गईं। निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 02.01.2016 को खोली गईं। निगम स्तर पर तकनीकी बिड का मूल्यांकन किया जाकर दिनांक 26.04.2016 को आदेश क्रमांक 2012 से List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा की गई। उक्त निविदा सूचना अन्तर्गत आरएमएससीएल द्वारा जारी किये गये आदेश क्रमांक 2012 दिनांक 26.04.2016 में अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) & -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) आईटमों के लिये Non Submission of Valid USFDA Certificate for Item के कारण Non Responsive Declare किया गया। आदेश क्रमांक 2012 दिनांक 26.04.2016 अन्तर्गत वित्तीय बिड दिनांक 28.04.2016 को खोला जाना निर्धारित किया गया। जिसको निगम के आदेश क्रमांक 2088/29.04.16, 2137/03.05.16, 2200/06.05.16, 2256/11.05.16, 2419/18.05.16

(2)

से स्थगित करते हुये आदेश क्रमांक 2936 दिनांक 27.06.16 से दिनांक 29.06.16 को खोला जाना निर्धारित किया जाकर दिनांक 30.06.2016 को वित्तीय बिड खोली गई।

अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने आदेश क्रमांक 2012 दिनांक 26.04.2016 से उनको -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) & -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) आईटमों के लिये Non-Responsive घोषित किये जाने को आपत्तिजनक एवं तथ्यात्मक नहीं बताते हुये व्यथित होकर हस्तगत प्रथम अपील RTPP Act 2012 की धारा 38(1) अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. अपीलान्ट फर्म ने अपील में संलग्न दस्तावेजों की सत्यता बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
3. अपील पर बहस के दौरान अपीलार्थी फर्म ने मुख्यतः अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया एवं संलग्न सम्बन्धित दस्तावेज को साक्ष्य रूप में अवलोकन कराया। अपीलान्ट का प्रमुख रूप से यह तर्क रहा कि, आरएमएससीएल की निविदा के अन्तर्गत उक्त दोनों आईटमों के तकनीकी स्पेसिफिकेशनों में (अपील कर संलग्नक Bid Document-Annexure-2) "Should be compliant with European CE or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid)" की पात्रता का मापदण्ड रखा जाकर दोनों में से एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये जाने का विकल्प दिया गया था। अतः अपीलार्थी को उक्त दोनों अपील सम्बन्धित आईटमों के लिये European CE अथवा US FDA में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने का विकल्प प्राप्त था। अपीलार्थी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने निविदा प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 02.01.2016 को Certificate of conformity (CE) संलग्न करते हुये निविदा प्रस्तुत की है तथा दिनांक 28.03.16 को, निगम को विभिन्न आईटमों के लिये USFDA रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज प्रस्तुत किये। अपीलार्थी के अनुसार उनकी फर्म का USFDA रजिस्ट्रेशन दिनांक 31.12.2016 तक के लिये किया गया है। जिसके दस्तावेज निगम को प्रस्तुत किये जाने के पश्चात भी उनको आदेश दिनांक 24.06.16 में USFDA के दस्तावेजों को Non Submission of Valid USFDA Certificate for Item के कारण Non Responsive किया गया। अपीलार्थी ने दौरान बहस, यह स्वीकार किया कि उनके द्वारा निविदा प्रथमतः Certificate of conformity (CE) के आधार पर प्रस्तुत की थी और वर्तमान में पात्रता के लिये USFDA रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजों का आधार लिया जा रहा है। अपीलार्थी ने अवगत कराया है कि निगम ने आईटमों के डेमोंस्ट्रेशन के लिये जारी पत्र क्रमांक 1771 दिनांक 06.04.2016 से अपील सम्बन्धित आईटमों के लिये USFDA दस्तावेजों की मांग की गई थी। जो कि उनके द्वारा निगम को उपलब्ध करवा दिये गये हैं, इसके बावजूद भी निगम ने अपीलार्थी को उक्त दोनों आईटमों के लिये Non Responsive करार दिया है।
4. अपील के सम्बन्ध में निगम का तर्क रहा है कि, अपीलार्थी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने ई-पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत तकनीकी निविदा में USFDA रजिस्ट्रेशन के आवेदन के कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किये थे। दिनांक 02.01.2016 को खोली गई तकनीकी बिड में अपीलार्थी द्वारा Certificate of conformity

(A)

(CE) के दस्तावेज उक्त दोनों आईटमों के लिये संलग्न किये। फर्म ने जो Certificate of conformity (CE) के दस्तावेज प्रस्तुत किये थे, वे तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के मापदण्डों अनुसार उपयुक्त नहीं हैं। क्योंकि दोनों ही आईटम Device Class II a के अन्तर्गत आते हैं। फर्म द्वारा आईटम -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) & -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) प्रस्तुत किये गये Certificate of conformity (CE) में निविदत्त कोटेड आईटम का उल्लेख भी नहीं है जो कि अनिवार्य है। अतः रेस्पोंडेन्ट के अनुसार अपीलार्थी फर्म की निविदा प्रस्तुत Certificate of conformity (CE) के दस्तावेजों के आधार पर उपयुक्त पात्रता की श्रेणी में नहीं मानी जा सकती थी। फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai द्वारा तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया दौरान प्रस्तुत किये गये USFDA दस्तावेजों के अनुसार उन्हें केवल USFDA में रजिस्ट्रेशन ही प्राप्त था। फर्म USFDA Approval का दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रही। फर्म के प्रस्तुत Owner Operator Number दस्तावेजों में भी "Please note that registering your device facility and listing your devices does not, in any way, constitute FDA approval of your facility or your devices" उल्लेख किया गया है। रेस्पोंडेन्ट के अनुसार USFDA वेबसाइट पर भी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai के उक्त दोनों आईटमों के लिये Quoted Model का उल्लेख नहीं मिलता है अतः फर्म USFDA दस्तावेज भी निविदा की पात्रता के लिये पर्याप्त नहीं थे। उक्त कारणवश फर्म की निविदा को -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) & -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) आईटमों के लिये आदेश क्रमांक 2012 दिनांक 26.04.2016 से Non Responsive Declare किया गया।

अपीलार्थी फर्म द्वारा प्रासंगिक अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत तर्क एवं साक्ष्यों के अवलोकन एवं रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत एवं अवगत कराये गये तथ्यों के अनुसार स्पष्ट होता है कि निगम की निविदा सूचना 115 के अन्तर्गत तकनीकी स्पेसिफिकेशन "Should be compliant with European CE or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid)" के अनुसार, सभी निविदादाताओं के लिये उक्त दो दस्तावेजो European CE or US FDA में से एक अथवा दोनों के प्रस्तुत किये जाने का विकल्प चयन का अवसर उपलब्ध था। अपीलार्थी फर्म ने Bid Submission दिनांक 02.01.2016 को आईटम -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) & -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) के लिये Certificate of conformity (CE) के दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। प्रस्तुत किये गये Certificate of conformity (CE) के दस्तावेज तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के मापदण्डों अनुसार उपयुक्त नहीं हैं। क्योंकि दोनों ही आईटम Device Class II a के अन्तर्गत आते हैं। फर्म द्वारा आईटम -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) & -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) प्रस्तुत किये गये Certificate of conformity (CE) में निविदत्त कोटेड आईटम का उल्लेख भी नहीं है जो कि अनिवार्य है।

निविदा के तकनीकी मूल्यांकन दौरान फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai द्वारा प्रस्तुत किये गये USFDA दस्तावेजों में "Please note that registering your device facility and listing your devices does not, in any way, constitute FDA approval of your facility or your devices" का उल्लेख किया गया है। रेस्पोंडेन्ट के अनुसार USFDA की वेबसाइट पर भी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai के आईटम -40 degree C




Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) & -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) के Quoted Model का उल्लेख नहीं मिलता है। उपरोक्त अनुसार अपीलार्थी फर्म को USFDA से केवल Owner Operator Number ही प्राप्त था। अतः अपीलार्थी फर्म USFDA Approval का भी उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रही।


फर्म द्वारा बिड प्रस्तुत करने की दिनांक पर European CE Certificate प्रस्तुत किया गया तथा बाद में अपना दावा तथाकथित US FDA Certificate के आधार पर प्रस्तुत किया गया।

अतः कम्पनी अलग-अलग दस्तावेजों के आधार पर अपने आप को योग्य साबित करना चाहा रही है। जो ये साबित करता है कि कम्पनी के पास बिड प्रस्तुत करने के अन्तिम निर्णय तथा इसके बीच की अवधि में लगातार एक आवश्यक "प्रमाणीकरण नहीं था" इस प्रकार अपीलार्थी फर्म, निविदा के आईटम -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) & -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) के लिये तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार वांछित European CE or US FDA, जो कि निविदा की पात्रता के लिये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, को प्रस्तुत करने में असफल रही। अतः उपरोक्तानुसार रेस्पोंडेन्ट के आदेश क्रमांक 2012 दिनांक 26.04.16 को उचित मानते हुये, अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने के कारण अपास्त की जाती है।

आदेश

उपरोक्त कारण से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावे। पत्रावली निर्णय में सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संघारित की जाती है।


अपीलीय अधिकारी एवं
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप -2) विभाग

क्रमांक : प0 27 (34) चिस्वा/02/2016

जयपुर, दिनांक 11.08.2016

M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai

अपीलान्त

बनाम

कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पॉन्डेंट

प्रथम अपील संख्या 34/2016

अपील अन्तर्गत धारा 38 (1), राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012

निर्णय दिनांक 11.08.2016

प्रस्तुत अपील पर, प्रथम सुनवाई दिनांक 19.07.2016 को की गई एवं अगली सुनवाई दिनांक 27.07.2016 को की गई अथवा दिनांक 02.08.2016 को दोनों पक्षों से तथ्यों को शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। अपीलान्त एवं रेस्पॉन्डेन्ट दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गई। अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सुकृति कासलीवाल एवं फर्म के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक (ई.पी.एम.) एवं कन्सलटेन्ट बायोमेडिकल इंजीनियर (पी) आदि उपस्थित हुये।

1. संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि, आर.एम.एस.सी.एल. ने निविदा सूचना संख्या 117 दिनांक 28.09.15 जारी कर कुल 4 विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों (1) Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags (2) Blood Cell Separation / Aphaeresis Machine (3) Blood Collection Monitor (4) Digital Hemoglobin Meter की निविदाएं आमन्त्रित की। निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 08.01.16 को खोली गई। निगम स्तर पर तकनीकी बिड का मूल्यांकन किया जाकर दिनांक 26.04.2016 को आदेश क्रमांक 2016 से List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा की गई। उक्त आदेश क्रमांक 2016 दिनांक 26.04.2016 में अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को Blood Collection Monitor आईटम् के लिये Non-Responsive Declare किया गया तथा वित्तीय बिड दिनांक 28.04.2016 को खोला जाना निर्धारित किया गया। जिसको आदेश क्रमांक 2088/29.04.2016, 2137/03.05.2016, 2200/06.05.2016, 2256/11.05.2016, 2419/18.05.2016 से स्थगित किया गया।

आरएमएससीएल ने उक्त निविदा के लिये पुनः आदेश क्रमांक 2902 दिनांक 23.06.2016 से List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा की जिसमें अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को आईटम् Blood Collection Monitor के लिये Non Responsive ही रखा गया। उक्त आदेश के अनुसार वित्तीय बिड दिनांक 27.06.2016 को खोला जाना निर्धारित किया गया है। जिसे आदेश क्रमांक 2936 दिनांक 27.06.2016 से स्थगित करते हुये

दिनांक 29.06.2016 को खोला जाना निर्धारित किया जाकर दिनांक 30.06.2016 को वित्तीय बिड खोली गई।

अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने आदेश क्रमांक 2902 दिनांक 26.04.2016 से उनको आईटम Blood Collection Monitor के लिये Non Responsive घोषित किये जाने को आपत्तिजनक एवं तथ्यात्मक नहीं बताते हुये व्यथित होकर हस्तगत प्रथम अपील RTPP Act 2012 की धारा 38(1) अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. अपीलान्ट फर्म ने अपील में संलग्न दस्तावेजों की सत्यता बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

3. दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान अपीलार्थी फर्म ने मुख्यतः अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया एवं संलग्न सम्बन्धित दस्तावेज को साक्ष्य में प्रस्तुत किया। प्रमुख रूप से तर्क रहा कि निविदा के उक्त आईटम Blood Collection Monitor के लिए निगम ने निविदा में तकनीकी स्पेशिफिकेशन में Certificate- Should be compliant with European CE or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid) की पात्रता का मापदण्ड रखा है। अतः अपीलार्थी को आईटम के लिए European CE or USFDA में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने का विकल्प प्राप्त था। अपीलार्थी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने निविदा प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 08.01.2016 को अपनी निविदा Certificate of Conformity का मापदण्ड चयन करते हुए निविदा प्रस्तुत की। फर्म द्वारा जो Certificate of Conformity-CE आईटम के लिए प्रस्तुत किया गया था उसमें Quoted Item के मॉडल का उल्लेख नहीं है जो अनिवार्य होता है साथ Safety Specification IEC 60601-1 & IEC 60601-1-2 भी मांगी गयी थी। अपीलार्थी फर्म ने जो Safety Specification IEC 60601-1 & IEC 60601-1-2 रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह Quoted Model से भिन्न मॉडल के लिए है। अतः रेस्पोंडेन्ट के अनुसार अपीलार्थी फर्म की निविदा प्रस्तुत Certificate of Conformity-CE के आधार पर उपयुक्त पात्रता की श्रेणी में नहीं मानी जा सकती थी।

4. अपील के सम्बन्ध में निगम का यह भी तर्क रहा है कि, अपीलार्थी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने ई-पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत तकनीकी निविदा में, USFDA रजिस्ट्रेशन के आवेदन के कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया था। दिनांक 08.01.2016 को खोली गई तकनीकी बिड में अपीलार्थी द्वारा Certificate of Conformity-CE के दस्तावेज उक्त आईटम के लिये संलग्न किये। फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai द्वारा तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया दौरान प्रस्तुत किये गये USFDA दस्तावेजों में उन्हें केवल USFDA में Owner Operator Number ही प्राप्त था। फर्म USFDA Approval का दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रही। फर्म के प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों में भी "Please note that registering your device facility and listing your devices does not, in any way, constitute FDA approval of your facility or your devices" उल्लेख किया गया है। रेस्पोंडेन्ट के अनुसार USFDA वेबसाइट पर भी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai के उक्त आईटम के लिये Quoted Model का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः फर्म के USFDA Registration के प्रस्तुत दस्तावेज भी निविदा की पात्रता के लिये पर्याप्त नहीं है।

अपीलार्थी फर्म द्वारा प्रासंगिक अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत तर्क एवं साक्ष्यों के अवलोकन एवं रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत एवं अवगत कराये गये तथ्यों के अनुसार स्पष्ट होता है कि निगम की निविदा सूचना 117 के अन्तर्गत तकनीकी स्पेशिफिकेशन "Should be compliant with European CE or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid)" के

(१)


अनुसार, सभी निविदादाताओं के लिये उक्त दो दस्तावेजों European CE or US FDA में से एक अथवा दोनों के प्रस्तुत किये जाने का विकल्प चयन का अवसर उपलब्ध था। अपीलार्थी फर्म ने Bid Submission दिनांक 08.01.2016 को आईटम Blood Collection Monitor की निविदा के लिये, Certificate of Conformity-CE के आधार पर अपनी पात्रता प्रस्तुत की तथा Safety Specification IEC 60601-1 & IEC 60601-1-2 की रिपोर्ट भी Quote किये गये मॉडल से भिन्न मॉडल के लिए प्रस्तुत की है। अतः रेस्पोंडेन्ट के अनुसार अपीलार्थी फर्म की निविदा प्रस्तुत Certificate of Conformity-CE के आधार पर उपयुक्त पात्रता की श्रेणी में नहीं मानी जा सकती थी।

प्रस्तुत पत्रावली तथा पत्रावली में लगे दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षकारों द्वारा पिछली सुनवाई के दौरान चाहे गये तथा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्रों को देखा गया। यहां पर आरएमएससी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें उन्होंने उनके द्वारा मान्य प्रक्रिया का उल्लेख किया है जब कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में उन्होंने एक अन्य प्रक्रिया बताई है जिसके अनुसार उन्होंने कुछ वेब-साइट का उल्लेख किया है और कुछ अन्य दस्तावेजों का उल्लेख किया है जिस पर किसी भी अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

अतः उनके द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया को पढ़ना तथा उसके आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। अतः आरएमएससी की प्रक्रिया के तहत प्रश्नगत निर्णय क्रमांक 2016 दिनांक 26.04.2016 उचित प्रतीत होता है। इन सभी तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात् अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने के कारण अपास्त की जाती है।

आदेश

उपरोक्त कारण से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावे। पत्रावली निर्णय में सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।


अपीलीय अधिकारी एवं
विशिष्ट शासन सचिव

WJF (17)



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप -2) विभाग

क्रमांक : प0 27 (37) चिस्वा/02/2016

जयपुर, दिनांक 11.08.2016

M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai

अपीलान्त

बनाम

कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील संख्या 37/2016

अपील अन्तर्गत धारा 38 (1), राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012

निर्णय दिनांक 11.08.2016

प्रस्तुत अपील पर, प्रथम सुनवाई दिनांक 04.07.2016 को की गई एवं अगली सुनवाई दिनांक 27.07.2016 को की गई। अपीलान्त एवं रेस्पोंडेंट दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गई। अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सुकृति कासलीवाल एवं फर्म के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस. सी.एल की ओर से कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक-८ (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक-७ (ई.पी.एम.) एवं कन्सलटेन्ट बायोमेडिकल इन्जीनियर (पी) आदि उपस्थित हुये।

1. संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि, आर.एम.एस.सी.एल. ने निविदा सूचना संख्या 117 दिनांक 28.09.15 जारी कर कुल 4 विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों (1) Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags (2) Blood Cell Separation / Aphaeresis Machine (3) Blood Collection Monitor (4) Digital Hemoglobin Meter की निविदाएं आमन्त्रित की। निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 08.01.16 को खोली गई। निगम स्तर पर तकनीकी बिड का मूल्यांकन किया जाकर दिनांक 26.04.2016 को आदेश क्रमांक 2016 से List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा की गई। उक्त आदेश क्रमांक 2016 दिनांक 26.04.2016 में अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags आईटम के लिये Responsive Declare किया गया तथा वित्तीय बिड दिनांक 28.04.2016 को खोला जाना निर्धारित किया गया। जिसको आदेश क्रमांक 2088/29.04.2016, 2137/03.05.2016, 2200/06.05.2016, 2256/11.05.2016, 2419/18.05.2016 से स्थगित किया गया।

आरएमएससीएल ने उक्त निविदा के लिये पुनः आदेश क्रमांक 2902 दिनांक 23.06.2016 से List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा की जिसमें अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8

Bags के लिये Non Responsive Declare किया गया। उक्त आदेश के अनुसार वित्तीय बिड दिनांक 27.06.2016 को खोला जाना निर्धारित किया गया है। जिसे आदेश क्रमांक 2936 दिनांक 27.06.2016 से स्थगित करते हुये दिनांक 29.06.2016 को खोला जाना निर्धारित किया जाकर दिनांक 30.06.2016 को वित्तीय बिड खोली गई।

अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने आदेश क्रमांक 2902 दिनांक 23.06.2016 से उनको आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags के लिये Non Responsive घोषित किये जाने को आपत्तिजनक एवं तथ्यात्मक नहीं बताते हुये व्यथित होकर हस्तगत प्रथम अपील RTTP Act 2012 की धारा 38(1) अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. अपीलान्ट फर्म ने अपील में संलग्न दस्तावेजों की सत्यता बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

3. अपील पर बहस के दौरान अपीलार्थी फर्म ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया एवं संलग्न सम्बन्धित दस्तावेज को साक्ष्य रूप में अवलोकन कराया। अपीलान्ट का प्रमुख रूप से यह तर्क रहा कि, आरएमएससीएल ने दिनांक 26.04.2016 के आदेश में उनकी निविदा को Responsive किये जाने के पश्चात बिना अन्य किसी सूचना के आदेश दिनांक 23.06.2016 में Non Responsive कर दिया गया। अपीलार्थी फर्म ने निविदा की शर्त सं. Section VI B: Special Conditions Rate Contract (SCC) के बिन्दु संख्या 9 का बहस दौरान हवाला देते हुये कहा कि उनके द्वारा जो CE Certificate प्रस्तुत किया गया था वह Bid submission की दिनांक 08.01.2016 को वैध था। उसके पश्चात उन्हें वैध दस्तावेज आपूर्ति दिनांक को ही प्रस्तुत करना था। उनके द्वारा प्रस्तुत CE Certificate Withdraw किये जाने के पश्चात एवं निविदा मूल्यांकन Final किये जाने से पूर्व ही उन्होंने अन्य वैकल्पिक USFDA रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे। अतः फर्म की निविदा को Responsive करार दिया जाना चाहिये था।

4. आरएमएससीएल ने, निविदा की तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार "Should be compliant with European CE with notified body no. or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid)" की पात्रता का मापदण्ड रखा जाकर उक्त दोनों में से एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये जाने का, सभी निविदादाताओं को विकल्प दिया था। अतः अपीलार्थी को भी उक्त अपील सम्बन्धित आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags के लिये European CE अथवा US FDA में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने का विकल्प प्राप्त था। अपीलार्थी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने निविदा प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 08.01.2016 को CE Certificate संलग्न करते हुये निविदा प्रस्तुत की है।

5. सुनवाई दौरान आरएमएससीएल ने, अपीलार्थी फर्म को Responsive से Non Responsive किये जाने के सम्बन्ध में तर्क दिया कि आदेश दिनांक 26.04.2016 में, इस फर्म की निविदा को CE Certificate के आधार पर Responsive किया गया था। परन्तु फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया CE Certificate दिनांक 19.01.2016 को जारीकर्ता Authority- 3EC International द्वारा Withdraw कर लिया गया। जिसकी सूचना निगम को आदेश दिनांक 26.04.2016 के जारी किये जाने तक नहीं थी। उक्त आदेश जारी किये जाने के पश्चात अन्य निविदादाता फर्म M/s Thermo Fisher India Pvt. Ltd. से निगम को यह सूचना प्राप्त हुई जबकि अपीलार्थी फर्म का भी यह दायित्व था कि वह निगम को CE Certificate के Withdraw किये जाने की सूचना निगम को देती। अतः फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai की निविदा कॉटेड आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags के लिये CE Certificate को, दिनांक 19.01.2016 को जारीकर्ता

(9)

Authority द्वारा Withdraw किये जाने के पश्चात पात्रता मापदण्ड Maintain नहीं करती थी, कारणवश फर्म की निविदा को आदेश दिनांक 23.06.2016 में Non-Responsive किया गया।

6. अपीलार्थी ने दौरान बहस, यह स्वीकार किया कि उनके द्वारा इस आईटम के लिये निविदा प्रथमतः CE Certificate के आधार पर प्रस्तुत की थी जो कि अब दिनांक 19.01.2016 को सम्बन्धित जारीकर्ता द्वारा withdraw किया जा चुका है। फर्म ने निविदा मूल्यांकन दौरान ही तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के विकल्प अनुसार पात्रता के लिये USFDA रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजों निगम को प्रस्तुत कर दिये थे। अपीलार्थी के अनुसार उनकी फर्म का विभिन्न आईटमों के लिये USFDA रजिस्ट्रेशन दिनांक 31.12.2016 तक किया गया है। जिसके दस्तावेज निगम को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

7. अपीलार्थी फर्म द्वारा बहस दौरान बताई गई निविदा की शर्त सं. Section VI B: Special Conditions Rate Contract (SCC) के सम्बन्ध में आरएमएससीएल से दो बिन्दुओं पर जवाब चाहा गया कि, क्या कोई निविदादाता Bid Submission दिनांक को अलग दस्तावेज के आधार पर अपनी पात्रता प्रस्तुत करता है और Bid Finalization की दिनांक को अन्य दस्तावेज के आधार पर अपनी पात्रता रखता है तो, आरएमएससीएल क्या प्रक्रिया अपनाती है। इस सम्बन्ध में आरएमएससीएल ने पत्र दिनांक 11.07.2016 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि Bid Submission दिनांक को जिस दस्तावेज के आधार पर निविदा प्रस्तुत की गई है निविदादाता उसी दस्तावेज को Maintain करेगा। पृथक दस्तावेज के आधार पर वह अपनी निविदा की पात्रता नहीं बनाये रख सकता है। आरएमएससीएल का जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

8. अपील के सम्बन्ध में निगम का यह भी तर्क रहा है कि, अपीलार्थी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने ई-पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत तकनीकी निविदा में, USFDA रजिस्ट्रेशन के आवेदन के कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया था। दिनांक 08.01.2016 को खोली गई तकनीकी बिड में अपीलार्थी द्वारा CE Certificate के दस्तावेज उक्त आईटम के लिये संलग्न किये। फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai द्वारा तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया दौरान प्रस्तुत किये गये USFDA दस्तावेजों में उन्हें केवल USFDA में Owner Operator Number ही प्राप्त था। फर्म USFDA Approval का दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रही। फर्म के प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों में भी "Please note that registering your device facility and listing your devices does not, in any way, constitute FDA approval of your facility or your devices" उल्लेख किया गया है। रेस्पॉन्डेंट के अनुसार USFDA वेबसाइट पर भी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai के उक्त आईटम के लिये Quoted Model का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः फर्म के USFDA Registration के प्रस्तुत दस्तावेज भी निविदा की पात्रता के लिये पर्याप्त नहीं है।

अपीलार्थी फर्म द्वारा प्रासंगिक अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत तर्क एवं साक्ष्यों के अवलोकन एवं रेस्पॉन्डेंट द्वारा प्रस्तुत एवं अवगत कराये गये तथ्यों के अनुसार स्पष्ट होता है कि निगम की निविदा सूचना 117 के अन्तर्गत तकनीकी स्पेसिफिकेशन "Should be compliant with European CE with notified body no. or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid)" के अनुसार, सभी निविदादाताओं के लिये उक्त दो दस्तावेजों CE with notified body no. or US FDA में से एक अथवा दोनों के प्रस्तुत किये जाने का विकल्प चयन का अवसर उपलब्ध था। अपीलार्थी फर्म ने Bid Submission दिनांक 08.01.16 को आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags की निविदा के लिये, 3EC International द्वारा जारी CE Certificate के आधार पर अपनी पात्रता प्रस्तुत की। यह CE

2


Certificate दिनांक 19.01.16 को जारीकर्ता 3EC International द्वारा withdraw कर लिया गया।

निविदा के तकनीकी मूल्यांकन दौरान फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai द्वारा प्रस्तुत किये गये USFDA दस्तावेजों में "Please note that registering your device facility and listing your devices does not, in any way, constitute FDA approval of your facility or your devices" का उल्लेख किया गया है। रेस्पॉन्डेंट के अनुसार USFDA की वेबसाइट पर भी फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai के आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags के Quoted Model का उल्लेख नहीं मिलता है। उपरोक्त अनुसार अपीलार्थी फर्म को USFDA से केवल Owner Operator Number ही प्राप्त था। अतः अपीलार्थी फर्म USFDA Approval का भी उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रही।

फर्म द्वारा European CE Certificate के Withdrawal की सूचना नहीं दी गयी। यह स्थिति किसी भी Agreement के Trust को Breach करती है जो उचित नहीं है। अतः बिड की शर्त अनुबंध के तहत होने के कारण फर्म Non-Discloser की भी दोषी है। इस प्रकार अपीलार्थी फर्म, निविदा के आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags के लिये तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार वांछित CE certificate with notified body No. अथवा US FDA Certificate, जो कि निविदा की पात्रता के लिये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, को प्रस्तुत करने में असफल रही। अतः उपरोक्तानुसार रेस्पॉन्डेंट के आदेश क्रमांक 2902 दिनांक 23.06.16 को उचित मानते हुये, अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने के कारण अपारस्त की जाती है।

आदेश

उपरोक्त कारण से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावे। पत्रावली निर्णय में सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।


अपीलीय अधिकारी एवं
विश्व शासन सचिव